



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-687

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 313183 दिनांक 08/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Narendra Kumar Meena S/o BHAGWAN SINGH MEENA	श्रीमती पांची देवी पत्नी श्री दीन दयाल	44	130.28 SQ. METER	Private	SUMAN ENCLAVE Sector/Block-G	Name Transfer	आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री भगवान सिंह द्वारा निजी खातेदारी की योजना सुमन एनक्लेव के भूखण्ड संख्या जी-44 क्षेत्रफल 130.28 व.मी. के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या जी-44 क्षेत्रफल 130.28 व.मी. की लीजडीड दिनांक 16.07.2019 को श्रीमती पांची देवी पत्नी श्री दीन दयाल के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या जी-44 क्षेत्रफल 130.28 व.मी. को श्रीमती पांची देवी पत्नी श्री दीन दयाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

25.07.2019 को
श्रीमती प्रेमलता
पत्नी श्री
लालचन्द बलाई
को बेचान किया
गया। तत्पश्चात
उक्त भूखण्ड
संख्या जी-44
क्षेत्रफल 130.28
व.मी. को श्रीमती
प्रेमलता पत्नी श्री
लालचन्द बलाई
द्वारा जरिये
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
15.01.2020 को
श्री नरेन्द्र कुमार
मीना पुत्र श्री
भगवान सिंह को
बेचान किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Narendra Kumar Meena S/o BHAGWAN SINGH MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |